भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2454

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कांस्य और पंचलोहा मूर्तियों के निर्यात को बढ़ावा देना

2454. श्री एस. कल्याणसुन्दरम :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुंभकोणम क्षेत्र से कांस्य और पंचलोहा मूर्तियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को शिल्पकारों के समक्ष आने वाली समस्याओं जैसे कि अराजक तत्वों द्वारा मूर्तियों की तस्कारी की संभावना के कारण लगाए जाने वाले निर्यात प्रतिबंधों की जानकारी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार ने निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल के अन्तर्गत प्रसिद्ध स्वामीमलाई कांस्य प्रतिमाओं जैसे पीतल के उत्पादों के प्रचार के लिए कुंभकोणम क्षेत्र सहित तंजावुर जिले की पहचान की है। इन मूर्तियों को भौगोलिक संकेत (जीआइ) का दर्जा दिया गया है, जिससे उनकी ब्रांडिंग बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रामाणिकता सुरक्षित रहेगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में राज्य निर्यात संवर्धन समितियां (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियां (डीईपीसी) स्थापित की गई हैं। आपूर्ति श्रृंखला अंतराल को दूर करने और लक्षित उपायों को कार्यान्वित करने के लिए तमिलनाडु के 20 जिलों सहित 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) विकसित की गई हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एमएसएमई और लघु निर्यातकों को प्रशिक्षित करने और सहायता देने के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों, सरकारी निकायों और उद्योग संघों के सहयोग से सक्रिय रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सरकार कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और डिजिटल विपणन अभियानों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती है ताकि स्वामीमलाई कांस्य प्रतिमाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित और बढ़ावा दिया जा सके जिससे तंजावुर को पारंपरिक शिल्प कौशल में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।

(ख) एवं (ग) सरकार कांस्य और पंचलोहा मूर्तियों के निर्यात में शिल्पकारों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत है, जिसका मुख्य कारण मूर्तियों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए प्रतिबंध हैं। पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1972, अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए प्राचीन मूर्तियों के निर्यात को नियंत्रित करता है। निर्यात के लिए प्रत्येक मूर्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से गैर–पुरातनता प्रमाण पत्र (एनएसी) प्राप्त करना होगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यह कोई प्राचीन वस्तु नहीं है। यह प्रमाणन प्रक्रिया वैध कारीगरों को समर्थन देते हुए विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करती है।

*****